न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 69/2019 53/2020

तोफन वगै0 बनाम बुन्दु खां वगै0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सहपठित 151 सी.पी.सी बाबत अपास्त किये जाने एकपक्षीय डिक्री निर्णय दिनांक 06.03.2020 बमुकदमे बुन्दु खां बनाम सिताब खां वगै0

1. श्री झाबर सिंह यादव एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री हजारी प्रसाद एडवोकेट अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय दिनांक 31-3-2022

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर जाहिर किया कि अप्रार्थी सं0 1 ने न्यायालय श्रीमान के समक्ष एक वाद पत्र उनवानी बुन्दु खां बनाम सिताब खां मु0न0 11/2020 पेश किया था जिसका निर्णय व डिक्री प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में एक पक्षीय दिनांक 06.03.2020 को किया जा चुका है। जिसमें वादीगण ने गलत रूप से प्रार्थीगण की झूठी तामील करवा ली थी वादीगण ने तामील कुनिन्दा से मिलकर गलत पते पर प्राथीगण की तामील करवा ली तामील कुनिन्दा कभी भी तामील के लिए नही गया तथा ना ही प्राथीगण को अब से पूर्व कभी भी किसी प्रकार की कोई जानकारी नही रही है। वादपत्र में प्रार्थीगण का पता सही अंकित नही किया गया है प्रार्थीगण का समन दिनांक 09.02.2020 को जारी किया गया है उक्त समन में प्रार्थीगण का पता सिर्फ मनोहरपुर लिखा गया है। प्राथीगण संख्या 1 का पता ताज होटल के पास भट्टा बस्ती जयपुर एवं प्रार्थीया सं. 2 का पता एन. ए. पब्लिक स्कूल के पास भट्टा बस्ती जयपुर है। समन की तामील किसी अन्य जगह करवायी गई है। वादीगण ने न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य पेश किये है। तामील कुनिन्दा ने प्रार्थीगण की गलत तामील की है। प्रार्थीगण की तामील मम्यक तामील नही होने के बावजूद प्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर दिनांक 06.03.2020 को एक पक्षीय डिक्री करवा ली है। गैर प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 ने ग्राम पंचायत मनोहरपुर से मिलकर प्रार्थीगण के पिता का स्वयं को सदोष लाभ पहुंचाने की आशय से फर्जी कुर्सीनामा बना लिया। उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 13.10.2020 को प्रार्थीगण के मनोहरपुर आने व आराजी भूमि की सार संभाल करने के लिए जाने पर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 ने प्रार्थीया को बताया कि हमने भूमि का बंटवारा करा लिया है। अब येह भूमि साझे की नही रही है। प्रार्थीया ने अपने अधिवक्ता से मिलकर प्रकरण की नकल प्राप्त की जिस पर प्रार्थीया को दिनांक 15.10.2020 को प्रकरण की जानकारी हुई। प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत है। दिनांक 06.03.2020 से 15.10.2020 तक का समय जानकारी के अभाव में कन्डोन फरमाने के लिए अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अन्त में निवेदन किया कि दिनांक 06.03.2020 को निर्णय को निरस्त फरमाया जाकर प्रार्थीगण की समूचित सुनवाई कर पुनः निर्णय पारित करे।

वकील अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. के संबंध में निवेदन किया कि प्रार्थीयागण की तामील सही रूप से की गई है। तमील कुनिन्दा ने मौके पर जाकर प्रार्थीगण के द्वारा समन नही लेने से मना करने के बाद 2 गवाहों के उपरान्त करवाई गई है। प्रार्थीगण को प्रकरण की जानकारी शुरू से ही रही है। प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष वादपत्र उनवान तोफन बनाम सिताब खां वगै0 वादपत्र की खण्ड संख्या 2 में प्रार्थीगण ने अंकन किया है कि वो अपने माता–पिता को फौत हो जाने के बाद से ही उक्त आराजी पर काबिज काश्त कर रही है। वर्तमान में भी आबाद एवं काबिज काश्त है तामील कुनिन्दा को प्रार्थीगण अपने घर मनोहरपुर मौजूद मिली थी। प्रार्थीगण ने अपने भाईयों के पक्ष में मौखिक हिबा किया था जो मुस्लिम विधि में मान्य है जिसके बाद मिन अन्तरदातागण ने ग्राम पंचायत से कुर्सीनाम बनवाया था जो सही व विधिमान्य है। प्रार्थीगण को कोई आपत्ति थी तो मिन उत्तरदातागण के विरूद्ध फौजदारी कार्यवाही अमल मे लाई जाने की पूर्ण स्वतंत्रा थी जो प्रार्थीगण ने नही करके केवल न्यायालय श्रीमान का समय जाया करने की गरज से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जो काबिले खारिज है। प्रार्थीगण ने गलत तथ्यों को आधार बनाकर मियाद बाहर प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो कानूनन चलने लायक नही है। उक्त आराजी का बंटवारा होकर आवासीय प्रयोजनार्थ किस्त परिवर्तन हो चुका है। इस

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला जयपुर) राज.

कारण भी प्रकरण को सुनने का श्रेत्राधिकार नही है। पूर्व निर्णय अनुसार मुझे पाईप लाईन की भूमि बटवारे में दी गई है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो के बहस पर मनन किया व प्रार्थना पत्र के कथनो व उभयपक्षो द्वारा प्रस्तुत बहस से यह तथ्य स्पष्ट है कि मुकदमा संख्या 11/2020 दिनांक 06.03.2020 को बुन्दु खां बनाम सिताब खां वगै0 कां निर्णय पारित किया गया था। उक्त भूमि से संबंधित अन्य वाद मुकदमा संख्या 10/2020 तौफन बनाम सिताब खां वगै0 विचारधीन था जिसका निर्णय 29.07.2020 को हो चुका है। उक्त वाद में प्रार्थीयागण ने जिमन संख्या 2 में प्रार्थीगण ने अवगत कराया है कि प्रार्थीगण/वादीगण के पिता धोले खां व माता रहमत का देहान्त हो चुका है। वादीगण/प्रार्थीगण के माता–पिता की मृत्यु हो जाने के बाद वादीयागण अपने हिस्से की भूमि पर अपने भाई प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के साथ बराबर–बराबर हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करती आ रही है। जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया मनोहरपुर में ही निवास कर रही है। जिससे प्रार्थीयागण को प्रकरण की शुरू से ही जानकारी रही है।

अतः प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सहपठित धारा 151 सी पी सी मियाद बाहर होने से खारिज किया जाता है।

(मनमोहन मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जि. जयपुर) राज.